10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–छतरपुर

R 3237- II/12

रामपाल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह, निवासी– नया खेरा तहसील धुवारा, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

—— आवेदक

विरूद्ध

1– राजकुंवर पत्नी गनपत सिंह लोधी, निवासी– नया खेरा तहसील धुवारा, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

2– मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला–छतरपुर

—— अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार तहसील धुवारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 81/अ–8/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 09.08.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध, अनुचित एवं विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार तहसील धुवारा द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत् अवसर प्रदान किये बिना जो आदेश पारित किया है वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

3– यहकि, तहसीलदार तहसील धुवारा द्वारा प्रकरण में न तो इस्तहार का प्रकाशन किया और न ही विधिवत् आपत्तियां आमंत्रित की गई। इस प्रकार तहसीलदार न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से प्रथम दृष्टि में ही अपास्त किये जाने योग्य है।

4– यहकि, अनावेदिका क्रमाक–1 द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष ग्राम नया खेरा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 171/2 रकवा 0.526 हेक्टेयर की तरमीम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 3237-एक/2012 जिला-~~टीकमगढ़~~ छतरपुर

रामपाल सिंह विरूद्ध राजकुंवर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार, तहसील धुवारा, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 81/अ-8/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09-08-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 22-09-2016 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 09/01/19 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य